संचालनालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मध्यप्रदेश
पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नम्बर-3, भोपाल- 462016
फोन-0755-2556916, ईमेल- dir.socialjustice@mp.gov.in

क्रं./ रा.प.सहा./106/2023/ 387 भोपाल, दिनांक 20/07/2023

प्रति,

समस्त संयुक्त/उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
म.प्र.।

विषय :- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के ऑनलाईन क्रियान्वयन के संबंध में।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का क्रियान्वयन एन.आई.सी. म.प्र. द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन किया जा रहा है। योजना अंतर्गत स्थानीय निकाय द्वारा आवेदनों को पोर्टल पर दर्ज कर दस्तावेज के आधार पर सत्यापित किया जाता है। सत्यापन उपरांत स्वीकृति की कार्यवाही की जाती है।

योजना अंतर्गत पोर्टल पर पूर्व में स्थानीय निकायों द्वारा बनाये गये शाखा प्रभारियों के यूजर पर कार्य करने की सुविधा को बंद कर दिया गया है। केवल जनपद पंचायत/नगरीय निकाय के यूजर (उदा. के लिये nfbs 12345) से ही पोर्टल पर लॉगईन कर कार्य किया जा सकता है।

अत: समस्त निकाय शाखा प्रभारियों के यूजर के स्थान पर केवल स्थानीय निकाय के यूजर का ही उपयोग करने व लॉगईन उपरांत सर्वप्रथम आयुक्त, नगर निगम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद इत्यादि के डिजीटल सिग्नेचर को अपलोड करें व पदाभिहित अधिकारी के डिजीटल सिग्नेचर के माध्यम से राष्ट्रीय परिवार सहायता के प्रकरणों को समय-सीमा में स्वीकृत/अस्वीकृत करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निकायों को अवगत कराने का कष्ट करें।

(सी.एल. पंथारी)
संयुक्त संचालक,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण म.प्र.

पृ.क्र./ रा.प.सहा./106/2023/ 388 भोपाल, दिनांक 20/07/2023

प्रतिलिपी:-

1. उप सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, म.प्र.।
2. समस्त कलेक्टर, म.प्र.।
3. समस्त आयुक्त, नगर निगम, म.प्र।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, म.प्र.।
6. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, म.प्र।
7. समस्त समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संयुक्त संचालक,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण म.प्र.